प्रेस नोट थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 22.03.25

“थाना रोजा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति का मोबाईल व नगदी छीनकर भागने वाले अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया”

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 22.03.25 को थाना रोजा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.03.2025 को वादी मुकदमा श्री रविन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री कैलाश चन्द्र, नि0 ग्राम नवादा अशरफपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उनका मोबाईल व रूपये छीन लेने के सम्बन्ध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0 169/2025 धारा 115(2)/126(2)/304(2)/351(3) बी.एन.एस. बनाम 1. संजीव उर्फ मटरू पुत्र चन्द्रपाल सिंह, नि0 ग्राम हेतमपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर 2. रवि पुत्र विश्वनाथ, नि0 ग्राम वचिगवा, थाना उचौलिया, जनपद खीरी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. संजीव उर्फ मटरू पुत्र चन्द्रपाल सिंह, नि0 ग्राम हेतमपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर 2. रवि पुत्र विश्वनाथ, नि0 ग्राम वचिगवा, थाना उचौलिया जनपद खीरी, दिनांक 22.03.2025 को मोटर साईकिल से भागने के दौरान तेजपुर से किरयारा जाने वाले रास्ते पर सूखी नहर में गिरने से अभि0 संजीव उर्फ मटरू उपरोक्त काफी चोटिल हो गया था, जिनको समय 3.30 बजे वादी मुकदमा द्वारा ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। सूचना पर मौके पर थाना रोजा पुलिस व पी.आर.वी. पहुँचकर अभियुक्त रवि को थाना रोजा लाया गया तथा चोटिल अभियुक्त संजीव उर्फ मटरू को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर में भर्ती कराया गया। अभियुक्त रवि उपरोक्त के कब्जे से वादी का मोबाइल (टेक्नो कम्पनी) एवं 16,000/- रू0 नगद तथा एक अदद तलवार व एक मोटर साईकिल स्प्लेण्डर UP27BJ8187 व अभि0 रवि का मोबाईल(रियल मी कम्पनी) बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.संजीव उर्फ मटरू पुत्र चन्द्रपाल सिंह, नि0 ग्राम हेतमपुर,थाना रोजा,जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 25 वर्ष

2.रवि पुत्र विश्वनाथ, नि0 ग्राम वचिगवा, थाना उचौलिया, जनपद खीरी उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 169/2025 धारा 115(2)/126(2)/304(2)/351(3) बी.एन.एस.

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान एवं समयः-

- दिनांक 22.03.2025 को समय 03.30 बजे तेजपुर से किरयारा जाने वाले रास्ते पर सूखी नहर से

विवरण पूछताछः-

अभियुक्त रवि उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 22.03.25 को हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर मुकरमपुर गये थे और संजीव ने पहले मेडिकल स्टोर मालिक की रेकी की थी। फिर हम दोनों लोग मेडिकल स्टोर के मालिक के निकलने का इन्तजार कर रहे थे, जिसके निकलने पर हम लोग मुकरमपुर से उसका पीछा करके सुतनेरा गांव से पहले पानी की टंकी के पास उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल रोककर उससे पैसे व मोबाइल छीन लिया था और यह छिनैती कर मोटरसाइकिल लेकर हम दोनों लोग किरयारी मोड़ पर मुडकर जा रहे थे कि तभी एक व्यक्ति पीछे से मेरी मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था और चिल्ला रहा था कि रोको । हम लोग ज्यादा तेजी में थे इसलिए किरयारी गांव नहर मोड पर मेरा साथी संजीव मोटरसाइकिल नहीं संभाल पाया और हम दोनों लोग सूखी पडी नहर में मय मोटरसाइकिल सहित जा गिरे, गिरने से मेरे दोस्त संजीव के दोनों पैर टूट गये और सिर में भी काफी चोट आयी थी तथा मुझे मामूली चोट आयी थी। जब हम लोग नहर में गिर गये थे, तो वह व्यक्ति चिल्ला दिया और गांव वाले काफी लोग आ गये, जिन्होंने हम लोगों से छीना हुआ रुपया व मोबाइल बरामद किया। पैसा हम लोग मौके पर नहीं गिन पाये थे। साहब हमसे गलती हो गयी है। माफ कर दो।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त संजीव उर्फ मटरू का आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 406/20 धारा 13 G Act पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

- वादी का मोबाइल (टेक्नो कम्पनी) एवं 16,000/- रू0 नगद
- एक अदद तलवार
- एक मोटर साईकिल स्प्लेण्डर UP27BJ8187
- अभि0 रवि का मोबाईल (रियल मी कम्पनी)

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध श्री गंगा सिंह, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री सागर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री शुभम भारती, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
5. हे0कां0 291 अरविन्द कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर